आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश
(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
आई.ई.सी. ब्यूरो, जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर,
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / सी.ई.ओ. / ए.बी. / 2018 / 29 भोपाल, दिनांक : 31/8/18

विषयः-दिनांक 09.08.2018 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु ली गई बैठक का कार्यवाही विवरण।

उपरोक्त विषयातंर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें श्री इकबाल् सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव, मान.मुख्यमंत्री, श्री हरिरंजन राव, प्रमुख सचिव, राजस्व एवं विमानन एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग, श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, श्री शिव शेखर शुक्ला, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, डॉ. श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, आयुक्त स्वास्थ्य, श्री एस.धनराजू, संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, श्री भास्कर लाक्षाकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत योजना, एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश में कियान्वयन किये जाने हेतु बैठक में मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लियें गयेः-

1. आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत आयुष्मान मित्र ISA द्वारा रहेगें साथ ही नियमित स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाए।
2. आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सभी चिन्हित बीमारियों के पैकेजेस की राशि का वितरण 60 : 40 के अनुपात में किया जायेगा,अर्थात 60 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान एवं 40 प्रतिशत राज्य अनुदान रहेगा। पैकेजेस राशि के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव, (वित्त) विभाग के साथ पृथक से बैठक आयोजित पेकेजेस राशि के वितरण का निर्धारण पर निर्णय लेवे।
3. बैठक के दौरान चर्चा की गई कि आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश में कियान्वयन एक साथ एक ही दिन शुभारंभ किया जाना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा की गई ।
4. ऐसी बीमारियों को राज्य बीमारी सहायता निधि तथा आयुष्मान भारत दोनो में है ऐसे कॉमन पैकेजों मे से कम राशि वाले पैकेज की राशि को आयुष्मान हेतु मान्य किया जावे। यदि आयुष्मान पैकेज की राशि एस.आई.ए.एफ. से कम हो, तब आयुष्मान पैकेज में अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी। योजना का नाम- "निरामयम्" रखा जायेगा तथा टेग लाइन "सर्वे सन्तु निरामयाः" होगी।
5. थर्ड पार्टी आडिटर एवं फ्राड डिटेक्शन माड्यूल आवश्यक रूप से लिए जाए।
6. सलाहकार परिषद का नाम बदलकर नीतिगत परिषद रखा जाए।
7. शासकीय सेवा में पेन्शन धारियों को योजना में जोड़ने हेतु विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किये जाए।
8. आयुष्मान भारत योजना के लोगो का चयन एन0आई0डी0 से चर्चा कर अंतिम किया जाये।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश